



भारत का राजपत्र The Gazette of India

सी.जी.-डी.एल.-अ.-20042022-235249
CG-DL-E-20042022-235249

असाधारण
EXTRAORDINARY

भाग II—खण्ड 3—उप-खण्ड (ii)
PART II—Section 3—Sub-section (ii)

प्राधिकार से प्रकाशित
PUBLISHED BY AUTHORITY

सं. 1792]

नई दिल्ली, बुधवार, अप्रैल 20, 2022/चैत्र 30, 1944

No. 1792]

NEW DELHI, WEDNESDAY, APRIL 20, 2022/CHAITRA 30, 1944

वित्त मंत्रालय

(राजस्व विभाग)

(केंद्रीय प्रत्यक्ष कर बोर्ड)

अधिसूचना

नई दिल्ली, 20 अप्रैल, 2022

का.आ. 1882(अ).— आयकर अधिनियम, 1961 (1961 का 43) की धारा 10 के खंड (46) द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए, केन्द्र सरकार एतद्द्वारा भारत सरकार द्वारा विशेष आर्थिक जोन अधिनियम, 2005 के अंतर्गत संस्थापित एक प्राधिकरण 'सीपूज विशेष आर्थिक जोन प्राधिकरण' (पैन:-AAALS4995G) को उस प्राधिकरण को उद्भूत होने वाली निम्नलिखित विनिर्दिष्ट आय के संबंध में उक्त खंड के प्रयोजनार्थ अधिसूचित करती है, अर्थात्:-

- (क) पट्टा किराया/सेज में प्रचालित विभिन्न इकाइयों से सेवा प्रभार;
- (ख) गेट पास प्रविष्टि शुल्क, विभिन्न इकाइयों से अर्थदण्ड एवं शास्ति तथा अन्य विविध आय (अग्नि उपकरण आय, रद्दी की बिक्री, शिशु गृह सुविधाओं से अंशदान) के रूप में आय; तथा
- (ग) बैंक निक्षेपों तथा निवेशों पर व्याज।

2. यह अधिसूचना इन शर्तों के अधीन प्रभावी होगी कि 'सीपूज विशेष आर्थिक जोन प्राधिकरण',-

- (क) किसी व्यावसायिक कार्यकलाप में लिप्त नहीं होगा;
- (ख) वित्तीय वर्षों के दौरान कार्यकलाप तथा विनिर्दिष्ट आय की प्रकृति अपरिवर्तित रहेंगी; और
- (ग) आयकर अधिनियम 1961, की धारा 139 की उपधारा(4ग) के खंड(छ) के प्रावधानों के अनुसार आयकर विवरणी दाखिल करेगा।

3. यह अधिसूचना वित्त वर्षों 2020-21 तथा 2021-22 के लिए लागू की गई मानी जाएगी तथा वित्त वर्षों 2022-2023, 2023-2024 तथा 2024-2025 के संबंध में लागू होगी।

[अधिसूचना सं. 36 /2022/फा. सं. 300196/12/2022-आईटीए-1]

सौरभ जैन, अवर सचिव

व्याख्यात्मक ज्ञापन

प्रमाणित किया जाता है कि इस अधिसूचना को भूतलक्षी प्रभाव देने से किसी व्यक्ति पर प्रतिकूल प्रभाव नहीं पड़ रहा है।

MINISTRY OF FINANCE

(Department of Revenue)

(CENTRAL BOARD OF DIRECT TAXES)

NOTIFICATION

New Delhi, the 20th April, 2022

S.O. 1882(E).— In exercise of the powers conferred by clause (46) of section 10 of the Income-tax Act, 1961 (43 of 1961), the Central Government hereby notifies for the purposes of the said clause, 'SEEPZ Special Economic Zone Authority' (PAN AAALS4995G), an Authority constituted under the Special Economic Zone Act, 2005 by the Government of India, in respect of the following specified income arising to that Authority, namely:-

- (a) Lease rentals/Service charges from various units operating in the SEZ;
- (b) Income by way of Gate Pass Entry Fees, Fine & Penalties from various units and other misc. income (Fire cess income, sale of garbage, contribution for crèche facilities); and
- (c) Interest on Bank Deposits and Investments.

2. This notification shall be effective subject to the conditions that SEEPZ Special Economic Zone Authority:-

- (a) shall not engage in any commercial activity;
- (b) activities and the nature of the specified income shall remain unchanged throughout the financial years; and
- (c) shall file return of income in accordance with the provision of clause (g) of sub-section (4C) of section 139 of the Income-tax Act, 1961.

3. This notification shall be deemed to have been applied for the financial years 2020-2021 and 2021-2022 and shall be applicable with respect to the financial years 2022-2023, 2023-2024 and 2024-2025.

[Notification No. 36/2022/F. No. 300196/12/2022-ITA-1]

SOURABH JAIN, Under Secy.

Explanatory Memorandum

It is certified that no person is being adversely affected by giving retrospective effect to this notification.